2024/45

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

सुखवीर कौर बनाम सरपंच ग्राम पंचायत गणेशगढ व कान्हाराम वगैरा

निगरानी प्रकरण सं0 08/2024

अधिवक्ता निगरानकर्ता :– लक्ष्मणराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
15.03.2024	अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर निगरानीकर्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संन्तुलन निगरानीकर्ता के पक्ष में प्रतीत होता है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ता 03 को पाबन्द किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी तक ग्राम पंचायत गणेशगढ के नोटिस कमांक 13 आदेश दिनांक 09.03.2024 की कियान्विती स्थगित की जाकर, मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। निगरानीकर्ता आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करना सुनिश्चित करें। उक्त पालना में विफल रहने पर उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक 15.04.2024 को पेश हो। अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर	471-473 15.3.24
26.03.2024	अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 सरपंच ग्राम पंचायत गणेशगढ के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आंज पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता निगरानीकर्ता को दी गई। पत्रावली वास्ते सुनवाई स्थगन पत्र एवं रिपोर्ट विकास अधिकारी पंचायत समिति सादुलशहर दिनांक 27.03.2024 को पेश हो।	
27.03.2024	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ने जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीगंगानगर से रिपोर्ट उनके पत्र कमांक 4115 दिनांक 26.03.2024 प्राप्त हुआ शामिल मिसल	

09/12/25	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 07.01.26 को पेश हो।
07/1/26	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 09/1/26 को पेश हो।
9/1/2026	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा लिखित बहस पेश करने हेतु निवेदन किया। पुनः स्वयं निगरानीकर्ता सुखवीर कौर उपस्थित। निगरानीकर्ता की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत 6GG द्वारा की गई। निगरानीकर्ता द्वारा राजीनामा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश निर्णय 14.01.2026 को पेश हो।
14.01.2026	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। निगरानीकर्ता ने अपने राजीनामा में स्वीकार किया कि उक्त विवादित प्लाट सं. 121 के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के मौतबीर व्यक्तियों व सरपंच व पंच द्वारा बैठकर दोनो पक्षों का राजीनामा करवा दिया है। इसलिए अब प्रार्थीया उक्त निगरानी या इस प्लॉट से सम्बन्धित किसी अन्य न्यायालय में केस है तो वह चलाना नहीं चाहती। न्यायहित में उक्त निगरानी को राजीनामा होने के कारण दाखिल दफ्तर फरमाई जावे। अतः निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्तागण का आपस में राजीनामा होने के कारण उक्त निगरानी राजीनामा के आधार दाखिल दफ्तर की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति एवं रिकॉर्ड सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश सुनाया गया।

सुखवीर कौर 09-1-2026

09-01-2025

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner